Prof. Khushbu Kumari
Guest Teacher
Dept. of Political science
V.S.J. College, Rajnagar, Madhubani, Bihar

Class - B.A - II (H)
Paper - III

Page No
Date

Lecture - 1

Topic - भारतीय संविधान की प्रस्तावना

संविधान की प्रस्तावना इसकी भावना और अर्थ को खोलने की एक कुंजी होती है। यह बात भारत के संविधान की प्रस्तावना के बारे में भी सत्य है। के. एम. मुंशी ने इसको संविधान की राजनीतिक जन्म पत्री करार दिया। जिसने संविधान की मौलिक विशेषताओं, दर्शन और भारतीय राज्य की प्रकृति को प्रकट किया था। प्रस्तावना भारत के संविधान के मौलिक दर्शन को दर्शाती है और संविधान की धाराओं की व्याख्या करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

42 वें संशोधन के बाद संविधान की प्रस्तावना इस प्रकार है —

"हम, भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्वसंपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, तथा उसके समस्त नागरिकों को:

सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय,
विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता
प्रतिष्ठा और अवसर की समता
प्राप्त कराने के लिए तथा उन सबमें व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की

एकता और अखण्डता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए
दृढ़संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26-11-1949 ई. (मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी, संवत् दो हजार छह विक्रमी) को एतद्द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं"

प्रस्तावना की मुख्य विशेषताएं

(i) सत्ता का स्रोत - लोकप्रिय प्रभुसत्ता -

सबसे पहले प्रस्तावना स्पष्ट रूप में लोकप्रिय प्रभुसत्ता के सिद्धान्त को स्वीकार करती है। यह इन शब्दों से आरम्भ होती है: "हम भारत के लोग..." और इससे इस तथ्य की पुष्टि हो जाती है कि समस्त सत्ता का अंतिम स्रोत लोग ही हैं। सरकार अपनी शक्ति लोगों से ही प्राप्त करती है। संविधान का आधार और प्रभुसत्ता लोगों में है और ये अपनी प्रभुसत्ता लोगों से प्राप्त करते हैं।

(ii) राज्य की प्रकृति - प्रस्तावना एक राज्य के रूप में भारत की पांच प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करती है। यह भारत को एक प्रभुसत्ता सम्पन्न, समाजवादी, धर्म-निरपेक्ष, लोकतंत्रीय, गणराज्य

घोषित करती है। उद्देश्य में प्रस्तावना में "समाजवादी" और धर्म-निरपेक्ष शब्द शामिल नहीं थे। ये इसमें 42वें संशोधन के द्वारा शामिल किए गए। इन पाँच विशेषताओं में से प्रत्येक को स्पष्ट करना आवश्यक है—

(1) भारत एक प्रभुसत्ता-सम्पन्न राज्य है—

प्रस्तावना घोषित करती है कि भारत एक प्रभुसत्ता सम्पन्न देश है। ऐसी घोषणा भारत पर ब्रिटिश राज्य की समाप्ति पर मोहर लगाने के लिए बहुत आवश्यक थी। इससे 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश शासन समाप्त होने के बाद भारत को तकनीकि रूप में दिए गए डोमिनियन स्टेट को समाप्त करने की भी पुष्टि की गई। इस प्रकार, प्रस्तावना भारत के प्रभुसत्ता सम्पन्न एवं देश के स्टेट की घोषणा करती है।

Khushbu Kumari
22nd Sept. 2020

Scanned with CamScanner